

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 26th March, 1976

NOTIFICATION

S.O. 1299 In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories (whether known as Lieutenant Governors, Chief Commissioners or Administrators) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under section 10, sub-section (1), and clause (d) of sub-section (2), of section 13 and sub-section (1) of section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976), within their respective Union territories.

[No. U-11030/5/75-UTL]

(H.C. BAKHSI)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road,
Mayapuri Industrial Area,
NEW DELHI.

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 26 मार्च, 1976.

अधिसूचना

का० आ० राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड(1) के अनुसरण में, निदेश दैते हैं कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें उप राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता हो), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, बंधकाधीन श्रम पद्धति(उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) की धारा 10, धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन, अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेंगे।

(सं० यू०-11030।5।75-यू टी एल)

हरीश चन्द्र बख्शी

(हरीश चन्द्र बख्शी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली।